कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

एम.बीएस. मार्ग, कवीर सर्कल के पास, कोटा–324005

E-mail: registrar@uok.ac.in, Ph. No. 0744-2472934 , Fax :0744-2472960

प्रबंध–मंडल की 50वीं बैठक दिनांक 10.06.2024
कार्यवृत

प्रबंध–मंडल की 50वीं बैठक दिनांक 10.06.2024 को अपराह्न 12:15 बजे विश्वविद्यालय के सरस्वती भवन स्थित बैठक हॉल में माननीया कुलपति महोदया की अध्यक्षता में ऑनलाईन पद्धति से सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नांकित की सहभागिता रही :–

	प्रो0 नीलिमा सिंह माननीया कुलपति महोदया, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	अध्यक्ष
2.	**श्री रोहित दीक्षित** वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयुपर के द्वारा नामित सदस्य के प्रतिनिधि	सदस्य
3.	**डॉ. मुकेश कुमार शर्मा** नामित सदस्य, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग (ग्रुप–4), राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य
4.	**प्रो. भगवती प्रसाद सारस्वत** कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित सदस्य	सदस्य
5.	**प्रो. एन.सी. गौतम** कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित सदस्य	सदस्य
6.	**प्रो0 फूल सिंह गुर्जर** कुलपति द्वारा नामित अधिष्ठाता	सदस्य
7.	**डॉ0 के.के. शर्मा** कुलपति द्वारा नामित अधिष्ठाता	सदस्य
8.	**प्रो0 रीना दाधीच** कुलपति द्वारा नामित आचार्य	सदस्य
9.	**डॉ. अनुकृति शर्मा** विश्वविद्यालय अध्यापक–निर्वाचित सदस्य	सदस्य
10.	**डॉ. कृष्ण कुमार शर्मा** विश्वविद्यालय अध्यापक–निर्वाचित सदस्य	सदस्य
11.	**प्रो0 रीना दाधीच** कुलसचिव	सदस्य सचिव

आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान, जयपुर; बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

बैठक के प्रारम्भ में सदस्य सचिव एवं माननीया कुलपति द्वारा सभी सम्मानीय सदस्यों का स्वागत व अभिनंदन किया गया। तत्पश्चात् विश्वविद्यालय की विभिन्न उपलब्धियों/गतिविधियों के संबंध में सदन को अवगत करवाया गया।

प्रबंध मंडल की बैठक में विचारणीय बिन्दुओं पर बिन्दुवार चर्चा कर निम्नानुसार संकल्प/निर्णय पारित किये गये :–

मद सं.–1 : **परीक्षा वर्ष 2021 की समस्त उपाधियों (कुल उपाधियां–88692) का 'ग्रेस पास' किये जाने संबंधी प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।**

निर्णय : परीक्षा वर्ष 2021 की समस्त उपाधियों (कुल उपाधियां–88692) के 'ग्रेस पास' किये जाने संबंधी प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया।

मद सं.–2 : **अन्य मद कुलपति की अनुमति से**

1. राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.14(10)शिक्षा–4 2001 पार्ट–00897 दिनांक 08.04.2024 के द्वारा कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में निजी सचिव संवर्ग के स्वीकृत पदों का पनुर्गठन कर नवीन पद सृजन की अनुमति संबंधी आदेशों की अनुपालना में निजी सचिव संवर्ग के निम्नांकित पदों पर कार्मिकों को क्रमोन्नत/पदोन्नत करने के संबंध में दिनांक 27.05.2024 को जारी आदेशो को रिपोर्ट करने बाबत।

निर्णय : प्रासंगिक प्रकरण में विश्वविद्यालय द्वारा निजी सचिव संवर्ग के पदों पर पदोन्नति/क्रमोन्नत करने के संबंध में जारी निम्नांकित कार्यालय आदेशों की पुष्टि की गई :–

क्र. सं.	कार्मिक का नाम	वर्तमान पद एवं पे–मैट्रिक्स लेवल	पदोन्नत/क्रमोन्नत पद एवं पे–मैट्रिक्स लेवल	विश्वविद्यालय का कार्यालय आदेश एवं क्रमांक एवं दिनांक
1.	श्री सुरेन्द्र गुप्ता	निजी सहायक ग्रेड–II (पूर्व पदनाम स्टेनाग्राफर), L-10	निजी सहायक ग्रेड I, L- II	1849–1856 दिनांक 27.05.2024
2.	श्री धाकड़ भगत सिंह	निजी सहायक ग्रेड– I (पूर्व पदनाम निजी सहायक), L-II	अतिरिक्त निजी सचिव, L-12	1858–1866 दिनांक 27.05.2024
3.	डॉ. मनीष वशिष्ठ	निजी सचिव–कुलपति, L-15	वरिष्ठ निजी सचिव, L-16	1868–1874 दिनांक 27.05.2024

प्रबंध मंडल द्वारा पदोन्नति समिति/क्रमोन्नत करने हेतु गठित समिति की अनुशंषाओं को अनुमोदित किया गया तथा पदोन्नत/क्रमोन्नत कार्मिकों के आदेशों को पारित किया गया।

		2. सदस्य सचिव, प्रबंध मंडल द्वारा सदन में अवगत कराया गया कि दिनांक 23.09.2023 को आयोजित प्रबंध मंडल की 48वीं बैठक में विश्वविद्यालयं की खोजबीन समिति, चयन समिति प्रबंध मंडल व विद्या परिषद के माननीय सदस्यों को दिए जाने वाले मानदेय में वृद्धि किये जाने संबंधी निर्णय लिया गया। प्रबंध मंडल के उक्त निर्णय पर वित्त नियंत्रक द्वारा राज्य सरकार से अनुमोदन पश्चात् लागू किए जाने की टिप्पणी की है।
निर्णय	:	प्रबंध मंडल की बैठक दिनांक 23.09.2023 के पूरक मद सं 4(3) के द्वारा लिये गये निर्णय पर वित्त नियंत्रक द्वारा की गई टिप्पणी/प्रतिक्रिया को दिनांक 10.06.2024 को संपन्न हुई प्रबंध मंडल की बैठक में पुनः प्रस्तुत किया गया। इस पर माननीय सदस्यों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए अवगत कराया कि प्रबंध मंडल विश्वविद्यालय की सर्वोच्च निकाय है और मानदेय इत्यादि में वृद्धि संबंधी निर्णय लेने के लिए सक्षम है। अतः मानदेय वृद्धि संबंधी उक्त निर्णय की सख्ती से पालना करने तथा प्रबंध मंडल की 49वीं बैठक से मानदेय में वृद्धि कर माननीय सदस्यों को दिए जाने का निर्णय लिया गया।
		3. प्रबंध मंडल की बैठक के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा उस विषय पर ध्यान आकर्षित किया कि प्रबंध मंडल के सदस्य प्रबंध मंडल की बैठक या विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति की बैठकों में उपस्थित होने के निमित्त टेक्सी से यात्रा करने पर टी.ए. का भुगतान राशि रूपये 9/– प्रति कि.मी. की दर से भुगतान किया जा रहा है, जबकि बाजार में टेक्सी रूपये 9/– प्रति कि.मी. की दर पर उपलब्ध नही होती है।
निर्णय	:	उक्त विषय पर चर्चा उपरांत व्यावहारिक कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि प्रबंध मंडल के माननीय सदस्यों को विश्वविद्यालय कार्य हेतु बैठकों में उपस्थित होने के लिए टेक्सी से यात्रा करने पर माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत टेक्सी बिल में चार्ज किये टेक्सी चार्जेज की वास्तविक दरों से भुगतान किये जावे। तदापि स्वयं की कार से यात्रा की स्थिति में यात्रा भत्ता नियमों में अनुमोदित दरों से भुगतान किया जावेगा।

अन्त में कुलपति महोदया ने सभी माननीय सदस्यों का बैठक में सक्रियता से भाग लेने के लिए आभार व्यक्त किया।

बैठक आसन को धन्यवाद के साथ पूर्ण हुई।

कुलसचिव
एवं सदस्य सचिव